



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173]

No. 173]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 9, 2003/चैत्र 19, 1925

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 9, 2003/CHAITRA 19, 1925

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2003

सा.का.नि. 322(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् बनाना चाहती है, उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसमें उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकेंगे।

आक्षेप या सुझाव जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों की बाबत इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (..... संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में भाग 17—खाद्य किरणन और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“भाग 18—प्रतिजैविकी और अन्य भेषज गुणविज्ञानीय सक्रिय पदार्थ

79. प्रतिजैविकी और अन्य भेषज गुणविज्ञानीय पदार्थ के अवशिष्ट :—

(1) समुद्री खाद्य जिसमें थ्रिम्प, झींगा या मछली और मछली उत्पादों की कोई अन्य किस्में सम्मिलित हैं, पर स्तम्भ (2) में उल्लिखित प्रतिजैविकी की मात्रा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में विहित सख सीमा से अधिक नहीं होगी।

सारणी		
क्रम सं	प्रतिजैविकी का नाम	सहायता सीमा भिन्ना/किन्ना (पी.पी. एम.)
1	2	3
1.	टेट्रासाइक्लीन	0.1
2.	आक्सीटेट्रासाइक्लीन	0.1
3.	ट्रिथैथोप्रिम	5
4.	आक्सोलिनिक अम्ल	0.3

(2) किसी प्रसंस्करण इकाई में समुद्री खाद्य जिसमें थ्रिम्प, झींगा या मछली और मछली उत्पादों की कोई अन्य किस्म सम्मिलित है, में निम्नलिखित प्रतिजैविकी और अन्य भेषज गुणविज्ञानीय सहाय पदार्थ में से किसी का उपयोग प्रतिविध किया जाएगा :—

(i) सभी नाइट्रोफ्यूरानस जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

- (क) फ्यूरल्यडोन
- (ख) फ्यूरोजोलिडोन
- (ग) फ्यूरिलफरमाइड
- (घ) नाईफ्यूरेटल
- (ङ) नाईफ्यूराक्सीम
- (च) नाइफ्रप्राजाइन
- (छ) नाइट्रोफ्यूरोटोइन
- (ज) नाइट्रोफ्यूरोजोन

- (ii) क्लोरमफेनिकोल
- (iii) नियोमाइसिन
- (iv) नालिडिकसिक अम्ल
- (v) सल्फामेथाक्लजोल
- (vi) अरिस्टोलोशिया एस.पी.पी. और उसकी विनिर्मितयां
- (vii) क्लोरोफोरम
- (viii) क्लोरोप्रोमेजाइन
- (ix) कॉलचिसिन
- (x) डेपसोन
- (xi) डायमीट्रीडेजोल
- (xii) मेट्रोनिडाजोल
- (xiii) रोनीडेजोल
- (xiv) आइप्रोनिडाजोल
- (xv) अन्य नाइट्रोमिडाजोल
- (xvi) क्लेनब्यूटरोल
- (xvii) डायथिलस्टे-बेस्ट्रोल (डी.ई.एस.)
- (xviii) सल्फानोमाइड औषधि
(अनुमोदित सल्फाडिमिथोक्सीन, सल्फेब्रोमोमेथाजीन और सलवेयाकसीपेरिडायजीन को छोड़कर)
- (xix) फ्लूरोक्विनोनलोनस
- (xx) ग्लिकोपेपटाइड''

[सं. पी. 15014(16)2002-पी-एच(खाद्य)]

दीपक गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 दिनांक 12-9-1955 का.नि.आ. 2105 के तहत भारत के राजपत्र, भाग- II, खण्ड 3 में प्रकाशित किए गए थे तथा अन्तिम बार सा.का.नि. 853(अ) दिनांक 30-12-2002 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th April, 2003

G.S.R. 322(E).—The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, proposes to make, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), is hereby published, as required by the said Sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhawan, New Delhi-110011.

The objections and suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (..... Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 (hereinafter referred to as the principal rules), after PART XVII—IRRADIATION OF FOOD and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

“PART XVIII—ANTIBIOTIC AND OTHER PHARMACOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES”

79—Residues of antibiotic and other Pharmacologically Active Substances

(1) The amount of antibiotic mentioned in column (2), on the sea foods including shrimps, prawns or any other variety of fish and fishery products, shall not exceed the tolerance limit prescribed in column (3) of the table given below :—

TABLE

S. No.	Name of Antibiotics	Tolerance limit mg/kg (ppm)
1	2	3
1.	Tetracycline	0.1
2.	Oxytetracycline	0.1
3.	Trimethoprim	0.05
4.	Oxolinic acid	0.3

(2) The use of any of the following antibiotics and other Pharmacologically Active Substances shall be prohibited in any unit processing sea foods including shrimps, prawns or any other variety of fish and fishery products :—

(i) All Nitrofurans including

- (a) Furaldone
- (b) Furazolidone
- (c) Furfuramide
- (d) Nifuratel
- (e) Nifuroxime

- (f) Nifurprazine
- (g) Nitrofurantoin
- (h) Nitrofurazone
- (ii) Chloramphenicol
- (iii) Neomycin
- (iv) Nalidixic acid
- (v) Sulphamethoxazole
- (vi) Aristolochia spp and preparations thereof
- (vii) Chloroform
- (viii) Chlorpromazine
- (ix) Colchicine
- (x) Dapsone
- (xi) Dimetridazole
- (xii) Metronidazole
- (xiii) Ronidazole
- (xiv) Iprnidazole
- (xv) Other nitromidazoles
- (xvi) Clenbuterol
- (xvii) Diethylstilbestrol (DES)
- (xviii) Sulfanoamide drugs (except approved Sulfadimethoxine, Sulfabromomethazine and Sulfaethoxypyridazine)
- (xix) Fluoroquinolones
- (xx) Glycopeptides.”

[No. P. 15014/16/2002-PH(Food)]

DEEPAK GUPTA, Jt. Secy.

Note : The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3 of Gazette of India vide S.R.O. 2105, dated the 12th September, 1955 and were last amended vide G.S.R. No. 853(E) dated 30-12-2002.